सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
की धारा 4(1)(ख)(i) के अंतर्गत
स्वः प्रकटीकरण

ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड

मैनुअल संख्या - 08

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भाग रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी

(Statement of Boards, Councils, Committees and Other Bodies Constituted as Part of the Public Authority or for the Purpose of Advising it, and Whether Meetings/Minutes of Such Bodies are Open/Accessible to the Public)

8.1 बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण

ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत नीतियों के क्रियान्वयन, योजनाओं के अनुश्रवण, प्रशिक्षण, संस्थागत समन्वय तथा विधिक एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं के संचालन हेतु राज्य, मण्डल एवं जनपद स्तर पर गठित प्रमुख बोर्डों, परिषदों, शासी निकायों एवं समितियों का विवरण निम्नवत है:

1. ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, उत्तराखण्ड

- **(1) निकाय का नाम: ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, उत्तराखण्ड**
- **(2) रचना / संरचना:**
 - अध्यक्ष: मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार (पदेन)
 - उपाध्यक्ष: 01 विशेषज्ञ सदस्य
 - सदस्यगण: 05 गैर-सरकारी विशिष्ट विषय विशेषज्ञ
 - सदस्य सचिव: अपर आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड, पौड़ी (पदेन)
- **(3) गठन की तिथि एवं शासनादेश:**
 - मूल गठन: शासनादेश संख्या 1357/XI/17/56(54)/2017 दिनांक 25 अगस्त, 2017
 - पुनर्गठन: शासनादेश संख्या 1055/XI/18/56(54)/2017 टी०सी० दिनांक 03 मई, 2018
 - नाम परिवर्तन: शासनादेश संख्या 1/67810/2022 दिनांक 06 अक्टूबर, 2022
- **(4) अवधि / कार्यकाल:**
 - अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव पदेन होते हैं।
 - गैर-सरकारी सदस्यों एवं उपाध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः 03 वर्ष अथवा शासन के अग्रिम आदेशों तक विहित होता है।
- **(5) शक्तियाँ और कार्य:**
 1. राज्य के ग्रामीण एवं सीमांत अंचलों से हो रहे पलायन के कारणों का सर्वेक्षण, सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण एवं डाटाबेस संधारण।
 2. राज्य सरकार को ग्रामीण आजीविका संवर्धन, रिवर्स माइग्रेशन तथा स्वरोजगार हेतु नीतिगत सिफारिशें व अध्ययन रिपोर्टें प्रस्तुत करना।
 3. मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना (MPRY) एवं सीमांत क्षेत्र विकास योजनाओं के क्रियान्वयन का तकनीकी मार्गदर्शन एवं अनुश्रवण।

2. उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (URRDA) - शासी निकाय एवं कार्यकारिणी समिति

- **(1) निकाय का नाम: उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (URRDA) - शासी निकाय एवं कार्यकारिणी समिति**
- **(2) रचना / संरचना:**
 - **शासी निकाय (Governing Body):**

- अध्यक्ष: मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
- उपाध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी: प्रमुख सचिव / सचिव, ग्राम्य विकास विभाग
- सदस्यगण: प्रमुख सचिव/सचिव (वित्त, नियोजन, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग), आयुक्त ग्राम्य विकास, मुख्य अभियंता (PWD) तथा दो जिलाधिकारी एवं दो मुख्य विकास अधिकारी (चक्रीय आधार पर)
- सदस्य सचिव / अपर मुख्य कार्यकारी: अपर सचिव, ग्राम्य विकास विभाग

o **कार्यकारिणी समिति (Executive Committee):**

- अध्यक्ष: मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन; उपाध्यक्ष: सचिव ग्राम्य विकास; सदस्य: अपर सचिव ग्राम्य विकास, सचिव वित्त (अथवा नामित संयुक्त सचिव), आयुक्त ग्राम्य विकास तथा मुख्य कार्यकारी द्वारा नामित दो अधिकारी।

- **(3) गठन की तिथि एवं शासनादेश:**
 - सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत वर्ष 2003 में विधिवत पंजीकृत।
- **(4) अवधि / कार्यकाल:**
 - यह एक स्थायी पंजीकृत स्वायत्तशासी संस्था है। पदेन सदस्यों का कार्यकाल पदस्थापना अवधि तक तथा चक्रीय सदस्यों (जिलाधिकारी/सीडीओ) का कार्यकाल एक वर्ष का होता है।
- **(5) शक्तियाँ और कार्य:**
 1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY - चरण I, II, III एवं IV) तथा मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण, वित्तीय प्रबंधन एवं गुणवत्ता नियंत्रण की सर्वोच्च नीति निर्धारण संस्था।
 2. निर्माण कार्यों, अनुबंधों, स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स (SQM) की रिपोर्टों और अनुरक्षण (PBMC) कार्यों की छह-माही समीक्षा व स्वीकृति प्रदान करना।

3. उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान (UIRD & PR, रुद्रपुर) - संचालक मण्डल (Board of Governors)

- **(1) निकाय का नाम: संचालक मण्डल (Board of Governors), उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान, रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)**
- **(2) रचना / संरचना:**
 - अध्यक्ष: मा० मंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार
 - उपाध्यक्ष: मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
 - सदस्यगण:
 - प्रमुख सचिव / आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा
 - प्रमुख सचिव / सचिव (वित्त, कार्मिक, नियोजन एवं ग्राम्य विकास विभाग)
 - महानिदेशक / निदेशक, डॉ. आर.एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी (ATI), नैनीताल
 - राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थाओं के दो प्रतिनिधि (अध्यक्ष द्वारा नामित)
 - सदस्य सचिव: अधिशासी निदेशक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान, रुद्रपुर

- **(3) गठन की तिथि एवं शासनादेश:**
 - सितम्बर, 2002 में उत्तराखण्ड शासन द्वारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत एक स्वशासी संस्थान के रूप में स्थापित।
- **(4) अवधि / कार्यकाल:**
 - स्थायी बोर्ड। नामित अशासकीय सदस्यों का कार्यकाल 02 वर्ष तथा पदेन सदस्यों का कार्यकाल पदस्थापना अवधि तक।
- **(5) शक्तियाँ और कार्य:**
 1. राज्य में विकास विभागों के कार्मिकों, पंचायत प्रतिनिधियों तथा महिला स्वयं सहायता समूहों के क्षमता विकास, शोध व प्रशिक्षण नीति का अनुमोदन।
 2. संस्थान के वार्षिक बजट, आन्तरिक उप-विधियों, मानव संसाधन ढांचे तथा अवस्थापना विस्तार की स्वीकृतियां निर्गत करना।

4. रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर (मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना) - राज्य एवं जिला संचालन समितियां

- **(1) निकाय का नाम:**
 - (क) राज्य स्तरीय संचालन समिति (State Level Steering Committee - SLSC)
 - (ख) जिला स्तरीय स्क्रीनिंग समिति (District Level Screening Committee - DLSC)
- **(2) रचना / संरचना:**
 - **राज्य स्तरीय प्रबंधकारिणी समिति (SLSC):**
 - अध्यक्ष: सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन
 - सदस्य: राज्य परियोजना समन्वयक (SPMU), सीईओ (USRLM), परियोजना निदेशक (REAP/ILSP), एमडी (उपासक), निदेशक (कृषि/उद्यान/डेयरी/पर्यटन), एजीएम (SLBC), सीजीएम (नाबार्ड)
 - सदस्य संयोजक: मुख्य संचालन अधिकारी (COO) / मुख्य कार्यान्वयन अधिकारी, RBI
 - **जिला स्तरीय स्क्रीनिंग समिति (DLSC - पौड़ी एवं अल्मोड़ा हब स्तर):**
 - अध्यक्ष: जिलाधिकारी
 - उपाध्यक्ष: मुख्य विकास अधिकारी
 - सदस्य सचिव: परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (DRDA)
 - सदस्य: महाप्रबंधक (DIC-उद्योग), मुख्य कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला पर्यटन अधिकारी, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, एलडीएम (लीड बैंक), डीडीएम (नाबार्ड) एवं तकनीकी प्रतिनिधि।
- **(3) गठन की तिथि एवं शासनादेश:**
 - शासनादेश संख्या 827 दिनांक 25 जुलाई, 2020 एवं विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत पत्रांक RDS-02-SSS/RBI/1/2022-XI-2 दिनांक 12 अगस्त, 2022

- **(4) अवधि / कार्यकाल:**
 - योजना संचालन अवधि तक निरंतर (पदेन संरचना)।
- **(5) शक्तियाँ और कार्य:**
 1. SLSC: इन्क्यूबेशन नीति, वार्षिक बजटीय प्रवाह, स्वतंत्र तृतीय पक्ष प्रभाव मूल्यांकन तथा राज्य भर में हब-एंड-स्पोक विस्तार का निर्णय।
 2. DLSC: ग्रामीण उद्यमियों, स्टार्टअप्स व महिला समूहों से प्राप्त इन्क्यूबेशन प्रस्तावों की स्क्रीनिंग, चयन, तकनीकी-विधिक मेंटरशिप व वित्तीय ऋण स्वीकृति का अनुमोदन।

5. जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (DRDA) - शासी निकाय (Governing Body)

- **(1) निकाय का नाम: जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (DRDA) शासी निकाय**
- **(2) रचना / संरचना:**
 - अध्यक्ष: अध्यक्ष, जिला पंचायत
 - कार्यकारी निदेशक एवं सदस्य-सचिव: मुख्य विकास अधिकारी (CDO)
 - सचिव: परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (PD, DRDA)
 - सदस्यगण:
 - जनपद के समस्त माननीय संसद सदस्य (लोकसभा एवं राज्यसभा)
 - जनपद के समस्त माननीय विधान सभा सदस्य (विधायक)
 - जिला पंचायत की समस्त 5 स्थायी समितियों के अध्यक्ष
 - जनपद के 50% क्षेत्र पंचायत प्रमुख (एक वर्ष हेतु चक्रीय वर्णमाला क्रमानुसार)
 - अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक (LDM), जिला प्रबंधक नाबार्ड, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र
 - मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य कृषि अधिकारी, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, अधिशासी अभियंता (जल निगम/लघु सिंचाई)
 - अध्यक्ष द्वारा नामित 02 कमजोर वर्ग प्रतिनिधि, 01 महिला प्रतिनिधि एवं अल्पसंख्यक प्रतिनिधि
 - ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य आयुक्त ग्राम्य विकास का नामित प्रतिनिधि
- **(3) गठन की तिथि एवं शासनादेश:**
 - मूल गठन वर्ष 1980; 73वें संविधान संशोधन के क्रम में शासनादेश संख्या डी-743/38-2-99-51एल.सी./95 दिनांक 16.06.1994 एवं उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 29.12.2001 द्वारा लोकतांत्रिक पुनर्गठन।
- **(4) अवधि / कार्यकाल:**
 - त्रिस्तरीय पंचायतों के 5-वर्षीय कार्यकाल के समानांतर। चक्रीय सदस्यों (ब्लॉक प्रमुखों) का कार्यकाल 01 वर्ष होता है।

- **(5) शक्तियाँ और कार्य:**

 1. जनपद में संचालित समस्त ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की वार्षिक कार्ययोजनाओं, बजट तथा भौतिक-वित्तीय प्रगति का त्रैमासिक परीक्षण व अनुमोदन।

 2. गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण अवस्थापना, आजीविका संवर्धन तथा रेखीय विभागों के मध्य अंतर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना।

6. जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (DISHA - 'दिशा')

- **(1) निकाय का नाम: जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (DISHA - 'दिशा') (पूर्ववर्ती जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति)**

- **(2) रचना / संरचना:**

 - अध्यक्ष: जनपद से निर्वाचित वरिष्ठ माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) (ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित)

 - सह-अध्यक्ष: जनपद के अन्य निर्वाचित माननीय संसद सदस्य (लोक सभा)

 - सदस्य सचिव: जिलाधिकारी

 - सदस्यगण: राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा सांसद, जनपद के समस्त माननीय विधायक, अध्यक्ष जिला पंचायत, समस्त क्षेत्र पंचायत प्रमुख, मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक (DRDA) तथा अध्यक्ष द्वारा नामित प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्था एवं महिला/एससी/एसटी प्रतिनिधि।

- **(3) गठन की तिथि एवं शासनादेश:**

 - भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के आदेश संख्या Q-13018/2/2002-A.I.(RD) दिनांक 01.10.2004 तथा पुनर्गठित दिशा मार्गदर्शिका के अंतर्गत।

- **(4) अवधि / कार्यकाल:**

 - संबंधित लोक सभा के कार्यकाल (05 वर्ष) के अनुरूप।

- **(5) शक्तियाँ और कार्य:**

 1. भारत सरकार द्वारा संपोषित समस्त राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रमों (VB-GRAM G/मनरेगा, PMAY-G, DAY-NRLM, PMGSY, स्वच्छ भारत, जल जीवन मिशन आदि) के कार्यान्वयन, गुणवत्ता तथा पारदर्शिता की त्रैमासिक गहन समीक्षा करना।

 2. निधियों के विचलन को रोकना तथा योजनाओं के धरातलीय निष्पादन हेतु सुधारात्मक निर्देश देना।

7. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) एवं मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना (MBADP) समितियां

- **(1) निकाय का नाम:**

 - राज्य स्तरीय जांच समिति (State Level Screening Committee - SLSC on BADP/MBADP)

 - जिला स्तरीय सीमा क्षेत्र विकास समिति (District Level Committee on BADP)

- **(2) रचना / संरचना:**
 - **राज्य स्तरीय समिति (SLSC):**
 - अध्यक्ष: मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
 - सदस्य: प्रमुख सचिव/सचिव ग्राम्य विकास, वित्त, गृह, वन, सीमा प्रबंधन विभाग तथा सीमा रक्षक बलों (ITBP, SSB) के महानिरीक्षक/डीआईजी
 - सदस्य सचिव: अपर सचिव / आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग
 - **जिला स्तरीय समिति:**
 - अध्यक्ष: जिलाधिकारी (चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चम्पावत, ऊधमसिंह नगर)
 - सदस्य सचिव: मुख्य विकास अधिकारी / परियोजना निदेशक
 - सदस्य: स्थानीय सेना/ITBP/SSB के कमान्डेंट एवं जिला स्तरीय रेखीय अधिकारी।
- **(3) गठन की तिथि एवं शासनादेश:**
 - गृह मंत्रालय, भारत सरकार - BADP नवीन दिशा-निर्देश संख्या 12/63/2014-बीएडीपी दिनांक 17 जून, 2020 एवं उत्तराखण्ड शासन आदेश 2020-21
- **(4) अवधि / कार्यकाल:**
 - स्थायी प्रशासनिक समिति (पदेन)।
- **(5) शक्तियाँ और कार्य:**
 1. भारत-चीन एवं भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा के 0–10 किमी परिधि के गांवों की 4-वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना तथा वार्षिक कार्ययोजना (AAP) का अनुमोदन।
 2. सीमा रक्षक बलों (BGFs) द्वारा अनुशंसित सामरिक एवं आधारभूत अवसंरचना कार्यों (सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, सौर ऊर्जा) की स्वीकृति।

8. ग्रामीण उद्यम वेगवृद्धि परियोजना (REAP - ग्रामोत्थान) - राज्य संचालन समिति

- **(1) निकाय का नाम: स्टेट प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी (State Project Steering Committee - SPSC), REAP**
- **(2) रचना / संरचना:**
 - अध्यक्ष: मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
 - उपाध्यक्ष: प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास
 - सदस्य: प्रमुख सचिव/सचिव (वित्त, कृषि, औद्योगिक विकास, पशुपालन, उद्यान, वन, ग्राम्य विकास)
 - सदस्य सचिव: मुख्य परियोजना निदेशक / परियोजना निदेशक, REAP (UGVS)
- **(3) गठन की तिथि एवं शासनादेश:**
 - IFAD सहायतित परियोजना हेतु वर्ष 2022 में गठित (परियोजना अवधि 2022–23 से 2028–29)

- **(4) अवधि / कार्यकाल:**
 - परियोजना अवधि (7 वर्ष) तक।
- **(5) शक्तियाँ और कार्य:**
 1. ₹2778.68 करोड़ की बाह्य सहायतित परियोजना के नीतिगत क्रियान्वयन, बजट आवंटन तथा मूल्य श्रृंखला विकास (Value Chain) की उच्च स्तरीय समीक्षा।

9. त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत विषयगत समितियां

- **(1) निकाय का नाम: ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत की स्थायी समितियां**
- **(2) रचना / संरचना:**
 - ग्राम स्तर पर 6 समितियां: नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति तथा जल प्रबंधन समिति (अध्यक्ष: ग्राम प्रधान / उप प्रधान, सदस्य: वार्ड सदस्य एवं स्थानीय नागरिक)।
 - क्षेत्र एवं जिला पंचायत स्तर: कार्य समिति, वित्त एवं नियोजन समिति, शिक्षा एवं जनकल्याण समिति (प्रमुख/अध्यक्ष की अध्यक्षता में)।
- **(3) गठन की तिथि एवं शासनादेश:**
 - 73वें संविधान संशोधन एवं उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 के प्राविधानों के अंतर्गत।
- **(4) अवधि / कार्यकाल:**
 - निर्वाचित पंचायतों के कार्यकाल (05 वर्ष) तक।
- **(5) शक्तियाँ और कार्य:**
 1. स्थानीय विकास कार्यों (मनरेगा, पेयजल, आवास, स्वच्छता) की पहचान, प्राथमिकीकरण तथा ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करना।

10. आंतरिक प्रशासनिक, वित्तीय एवं सेवा समितियां

- **(क) विभागीय चयन एवं पदोन्नति समिति (DPC):**
 - संरचना: नियुक्ति प्राधिकारी (अध्यक्ष), अपर विभागाध्यक्ष/समकक्ष अधिकारी (सदस्य) तथा दो राजपत्रित अधिकारी (एससी/एसटी प्रतिनिधि सहित)।
 - कार्य: मिनिस्ट्रीयल, वाहन चालक एवं अराजपत्रित संवर्गों में नियमित पदोन्नति की संस्तुति।
- **(ख) वार्षिक स्थानान्तरण समिति (Transfer Committee):**
 - संरचना: उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 16 के अंतर्गत गठित स्थायी समिति।
 - कार्य: सुगम एवं दुर्गम कार्यस्थलों की पात्रता सूची, विकल्पों तथा 15% सीमा में वार्षिक स्थानांतरण की संस्तुति।
- **(ग) विभागीय क्रय एवं ई-प्रोक्योरमेंट समिति (Procurement Committee):**
 - संरचना: उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अंतर्गत गठित त्रि-सदस्यीय समिति (अध्यक्ष: वरिष्ठतम उपायुक्त, सदस्य: सहायक लेखाधिकारी एवं स्टोर इंचार्ज)।

- कार्य: GeM पोर्टल एवं राज्य ई-टेंडरिंग द्वारा सामग्री, आईटी उपकरण एवं सेवाओं के क्रय हेतु तकनीकी व वित्तीय मूल्यांकन।

- **(घ) आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee - POSH Act, 2013):**
 - संरचना: कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम हेतु वरिष्ठ महिला अधिकारी (अध्यक्ष), दो विभागीय सदस्य तथा एक निष्पक्ष एनजीओ प्रतिनिधि।
 - कार्य: कार्यस्थल पर महिला कार्मिकों के अधिकारों का संरक्षण एवं शिकायतों की स्वतंत्र जांच।

8.2 क्या बैठकें जनता के लिए खुली हैं तथा क्या कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच है?

क्र. सं.	बोर्ड / परिषद / समिति / निकाय का नाम	(6) क्या उनकी बैठकें जनता के लिए खुली हैं?	(7) क्या बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए खुले/सुलभ हैं?	विधिक एवं प्रक्रियात्मक स्थिति / कारण
1.	ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग	नहीं	हाँ (अंतिम रिपोर्टें/अनुशंसाएं सार्वजनिक हैं)	आंतरिक बैठकों में केवल नामित सदस्य भाग लेते हैं; आयोग द्वारा स्वीकृत अध्ययन रिपोर्टें व सिफारिशें सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराई जाती हैं।
2.	URRDA - शासी निकाय एवं कार्यकारिणी	नहीं	हाँ (स्वीकृत निर्णय व नीतियां खुली हैं)	नीतिगत व उच्च प्रशासनिक बैठकों में अधिकृत सदस्य भाग लेते हैं; अनुमोदित नीतियां व सड़कें सार्वजनिक हैं।
3.	UIRD & PR - संचालक मण्डल (BoG)	नहीं	हाँ (कार्यवृत्त आरटीआई/अवलोकनार्थ सुलभ)	शासी निकाय की बैठकों में केवल नामित सदस्य भाग लेते हैं; बैठक कार्यवृत्त सक्षम अनुमोदनोपरांत अवलोकनार्थ सुलभ रहता है।
4.	रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर (SLSC एवं DLSC)	नहीं	हाँ (चयनित लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक है)	स्क्रीनिंग व संचालन बैठकों में अधिकारी व आमंत्रित विशेषज्ञ भाग लेते हैं; चयनित इन्क्यूबेटीज व ऋण अनुमोदन की जानकारी सार्वजनिक है।
5.	जिला ग्राम्य विकास	परोक्ष (जनप्रतिनिधियों हेतु खुली)	हाँ (कार्यवृत्त सार्वजनिक रूप से प्रसारित होता है)	इसमें सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख

क्र. सं.	बोर्ड / परिषद / समिति / निकाय का नाम	(6) क्या उनकी बैठकें जनता के लिए खुली हैं?	(7) क्या बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए खुले/सुलभ हैं?	विधिक एवं प्रक्रियात्मक स्थिति / कारण
	अभिकरण (DRDA) शासी निकाय			व जन-प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं; बैठक का कार्यवृत्त सभी सदस्यों को वितरित व सार्वजनिक किया जाता है।
6.	दिशा (DISHA) समिति	परोक्ष (जनप्रतिनिधियों हेतु खुली)	हाँ (कार्यवृत्त पूर्णतः सार्वजनिक है)	संसद सदस्यों, विधायकों एवं स्थानीय निकायों के जन-प्रतिनिधियों द्वारा संचालित; बैठक समीक्षा विवरण व कार्यवृत्त सार्वजनिक डोमेन में रखे जाते हैं।
7.	BADP / MBADP स्क्रीनिंग समितियां	नहीं (सामरिक सुरक्षा विषयक)	हाँ (स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजनाएं सुलभ हैं)	सीमा सुरक्षा बलों एवं प्रशासनिक गोपनीयता के कारण बैठकें खुली नहीं हैं; स्वीकृत कार्यों की सूची नागरिक सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाती है।
8.	REAP (ग्रामोत्थान) स्टीयरिंग कमेटी	नहीं	हाँ (परियोजना प्रगति रिपोर्टें खुली हैं)	उच्च स्तरीय प्रशासनिक नीति निर्धारण बैठक; वार्षिक रिपोर्टें एवं लेखापरीक्षित विवरण सार्वजनिक डोमेन में रहते हैं।
9.	त्रिस्तरीय पंचायत विषयगत समितियां एवं ग्राम सभा	हाँ (पूर्णतः जनता हेतु खुली)	हाँ (शत-प्रतिशत सार्वजनिक)	ग्राम सभा की खुली बैठक में प्रत्येक वयस्क नागरिक भाग लेता है; मस्टर रोल, योजना प्रस्ताव व कार्यवृत्त पंचायत सचिवालय में सार्वजनिक रहते हैं।
10.	विभागीय DPC, स्थानांतरण व क्रय समितियां	नहीं (प्रशासनिक/गोपनीय)	हाँ (अंतिम आदेश, सूची व कार्यवृत्त सुलभ)	चयन, निविदा परीक्षण व कार्मिक आख्याएं सेवा नियमावली के अधीन गोपनीय होती हैं; अंतिम चयन आदेश, स्थानांतरण आदेश एवं क्रय संस्तुति सार्वजनिक होती हैं।

8.3 वह स्थान जहां जनता के लिए कार्यवृत्त उपलब्ध हैं

जनसामान्य, शोधार्थी एवं आरटीआई आवेदक बैठकों के अनुमोदित कार्यवृत्तों, नीतिगत रिपोर्टों एवं स्वीकृत योजनाओं का अवलोकन अथवा प्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित भौतिक एवं डिजिटल स्थलों से प्राप्त कर सकते हैं:

1. **डिजिटल माध्यम (Official Websites & Links):**
 - विभागीय मुख्य पोर्टल: (http://www.ukrd.uk.gov.in) (URRDA, REAP, विधायक निधि, मनरेगा, आवास एवं विभागीय स्थानांतरण/नीतिगत आदेश)
 - पलायन निवारण आयोग पोर्टल: (http://www.uttarakhandpalayanayog.com) (समस्त 25 विषयगत सिफारिशी अध्ययन रिपोर्टें)
2. **भौतिक कार्यालयी पटल (Physical Offices):**
 - मुख्यालय स्तर: कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड, पौड़ी स्थित केंद्रीय अभिलेख कक्ष (Record Room) अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी / उपायुक्त (प्रशासन) के पटल से कार्यालय दिवसों में अवलोकन किया जा सकता है।
 - जनपद स्तर: संबंधित जनपद के विकास भवन स्थित मुख्य विकास अधिकारी (CDO) / परियोजना निदेशक (DRDA) कार्यालय तथा जिला विकास कार्यालय का रिकॉर्ड रूम।
 - ब्लॉक एवं ग्राम स्तर: संबंधित विकास खण्ड कार्यालय का सूचना केंद्र/वाचनालय तथा ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत भवन का सार्वजनिक सूचना पट व बैठक पंजिका।
3. **प्रतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया व शुल्क:**
 - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विहित ₹10/- आवेदन शुल्क तथा ₹2/- प्रति पृष्ठ (A4/A3) भुगतान कर किसी भी अनुमोदित बैठक कार्यवृत्त की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त की जा सकती है (बीपीएल कार्डधारकों हेतु 50 पृष्ठ निःशुल्क)।